

प्रश्न - संविधान में वर्णित अनुच्छेद-15 में 93वें संविधान संशोधन, 2005 के तहत वंचित वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान किया गया, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (150 शब्द)

Special provisions for reservations of the disadvantaged sections was made under article 15 described in the constitution by the 93rd constitutional amendment 2005. Critically evaluate. (150 Words)

मॉडल उत्तर

- भूमिका में अनुच्छेद-15 को संक्षिप्त में बतायें।
- अगले पैरा में 93वें संविधान संशोधन, 2005 के तहत आरक्षण संबंधी पक्ष-विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

संविधान में वर्णित अनुच्छेद 15 राज्य के किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे महिलाएं, बच्चों, दुर्बल वर्ग आदि।

संसद ने 93वें संशोधन 2005 के तहत अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया है जिसमें प्रावधान है कि राज्य वंचित वर्गों के पक्ष में शिक्षा संस्थाओं (निजी संस्थाएं भी शामिल हैं) में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। लेकिन इसका भी एक मात्र अपवाद अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था है।

संसार ने उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम, 2006 पारित किया और इसके द्वारा सरकार ने इसे लागू किया कि पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयीं।

**आलोचनाएं-
पक्ष**

- आरक्षण की व्यवस्था समानता के विरुद्ध नहीं है।
- आरक्षण के द्वारा शिक्षण सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने का तर्क सही नहीं है, क्योंकि भारत जैसे देश में चयन के पश्चात प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है।
- संविधान के अनुसार सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय आदर्श भी है।
- वर्तमान में भी भारत सरकार की अनेक योजनाएं आर्थिक आधार पर संचालित होती हैं।

विपक्ष

- आरक्षण समानता के प्रतिकूल है।
- इसमें योग्यता की अवहेलना होती है और इससे सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है और देश का विकास प्रभावित होता है।
- भारत में आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार से संचालित हो रही है कि पिछड़े वर्गों में भी समूह दर समूह इसका लाभ ले रहे हैं।
- भारत में आरक्षण की व्यवस्था स्वयं आरक्षित वर्गों के हित में नहीं है।
- आरक्षण के कारण ही भारत में जाति का महत्व बढ़ा है।

अंत में संक्षिप्त, संतुलित व सारगर्भित निष्कर्ष दें।

नोट:- प्रश्नानुसार उत्तर के सभी बिन्दुओं को समाहित किया गया है, निर्धारित शब्द सीमा में व्यवस्थित कर विश्लेषण कर सकते हैं।